बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 3 सत्र- 191वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 13.2.2019 ई.

माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 6.40 अपराह्न तक

1. आसन को सूचना

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सलमान रागीब ने तालीमी मरकज़ और टोला सेवक के आमरण अनशन संबंध में सदन में सूचना दी जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय ने किया। इसपर आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि सलमान रागीब साहब ने सवाल उठाया है और कल रामचन्द्र पूर्वे जी ने भी सदन में अपने भाषण में इसकी चर्चा की थी कि आमरण अनशन पर बैठे हैं तो हमने कहा कि माननीय सदस्य वहां जाकर धरना तुड़वा दीजिए और शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया जाएगा कि जो सरकार के स्तर से होगा, वह करें। हमने जो नियमन दिया है, मेरे हिसाब से सोच-समझकर दिया है, हम सरकार नहीं हैं, हम शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, यह हमने आपको आश्वासन दिया है।

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल, श्री सुबोध कुमार ने आरक्षित वर्गों को आरक्षण से वंचित किए जाने के संबंध में कार्यस्थगन

प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे ने किया जबकि सत्तापक्ष की ओर से कई माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन का विरोध किया। कार्य स्थगन प्रस्ताव पर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि श्री सुबोध कुमार, माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति की आधार संख्या-4, 5, 8, 26 एवं 39 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

3. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 15 से 18, 21 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 19 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या- 20 व्यपगत हुआ।
प्रश्न संख्या- 22 सदन पटल पर रखा गया।
प्रश्न संख्या- 23, 24, 25 अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 37 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या- 48 सदन पटल पर रखा गया।
प्रश्न संख्या- 40 से 47 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या– 29 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, इसको सुनिश्चित कीजिए, जिसपर माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि इसको दिखवा लेते हैं और जो भी कमियां हैं, उनको सुधरवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 31 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आप उसको गंभीरतापूर्वक दिखवाकर नियमानुसार कार्रवाई कीजिए।

तारांकित प्रश्न संख्या- 36 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, जो महत्वपूर्ण सवाल है, उस समस्या के समाधान के लिए आप अपना स्पष्ट उत्तर दीजिए और सही जानकारी ले करके

समस्या के समाधान के बारे में बताइए। इसपर माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसको दिखवा लेंगे।

आसन को सूचना

माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने सूचना के माध्यम से माननीय सदस्य, श्री खालिद अनवर के घर में हुई भीषण चोरी के संबंध में तथा बस स्टैंड में टेम्पो रिजर्व कर उसपर बैठने वाले यात्रियों को लूटने वाले गिरोह पर कार्रवाई करने के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया। इसपर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने भी सरकार को यह सूचना देने की कृपा की कि माननीय मंत्री जी, यह सही घटना है। एक और घटना है, बस स्टैंड से मेरे यहां पर एक लड़का सुपौल से आया। आने के क्रम में वह टेम्पो से आ रहा था, टेम्पो वाला जबरदस्ती उसे टेम्पो से उतार कर भाग गया और जब वह लड़का अपना जेब टटोलने लगा तो उसका 18000 रुपया गायब था। मैंने एस.एस.पी., पटना को भी इस बात की जानकारी दी। माननीय मंत्री जी, इसको गंभीरता से लेना होगा।

माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने भी इस संबंध में 3-4 जगहों को चिह्नित कर वहां पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की।

माननीय सदस्य, श्री तनवीर अख्तर ने विधान मंडल परिसर के अंदर लगभग 12 बजे प्राइवेट बाउंसरों के प्रवेश तथा उसके कारण हुए व्यवधान के कारण सदन में विलंब से अपने आने की सूचना दी तथा इसपर कार्रवाई की मांग की, जिसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने स्थिति स्पष्ट की तथा आश्वस्त किया कि इसकी जांच हो रही है और जांच करके कार्रवाई होगी।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

5. **परिनियत कार्य**

माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 से संबंधित अधिसूचना की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

6. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र से अवैध यूनिपोल और लोहे का फ्रेम हटाये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, सरकार इसको गंभीरता से देखेगी।

2. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह एवं श्री केदार नाथ पाण्डेय द्वारा बिहार के रैयतों को भूमि विवाद से त्राण दिलाने एवं सरकार द्वारा जमीन की रक्षा किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राम नारायण मंडल ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा राज्य में अनाज एवं किरासन तेल की कालाबाजारी रोकने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

4. माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा द्वारा राज्य के रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से लगाये जा रहे मोबाइल टावर को हटाने एवं इसके लिए नियमावली बनाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, आपने सही कहा कि भारत सरकार के निदेश पर लगाया गया है लेकिन राज्य सरकार ये तो कर सकती है कि माननीय सदस्यों की भावना से जनहित में केन्द्र सरकार से आग्रह करे कि यह निर्णय जनहित में नहीं है। प्रेमचन्द्र बाबू भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में यह फैसला हुआ, जो गलत है और जनहित में उन्होंने अपनी पार्टी से अलग जाकर यह बात कही है, जो सराहनीय है, इसलिए इसको देखिए।

5. माननीय सदस्य, डा. रामबचन राय द्वारा विधान मंडल के पूर्वी द्वार के सामने शहीद स्मारक के चारों तरफ बैनर और होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्यगण, निश्चित रूप से अधिकांश मुद्दे आपलोगों के द्वारा सदन में उठाया जाता है। सदन तो लगातार चलता नहीं है इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जनता स्वस्थ और जीवित रहेगी तभी राजनीति होगी। माननीय मंत्री, आप नगर विकास मंत्री जी के साथ बैठकर इसपर जो कार्रवाई होगी, इसकी सूचना 20 तारीख को चलते सदन में दीजिएगा।

6. माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे द्वारा राज्य के महादलित भूमिहीन परिवार को वास भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राम नारायण मंडल ने वक्तव्य दिया।

7. **महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्री प्रेमचंद्र मिश्रा
2. श्रीमती राबड़ी देवी
3. डा. रामचंद्र पूर्वे
4. श्री सुमन कुमार
5. श्री सुबोध कुमार
6. डा. दिलीप कुमार चौधरी
7. श्री संजीव श्याम सिंह

आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा समय आवंटन के संबंध में पूछे जाने पर आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि यह आपका विषय नहीं है कि किसको कितना समय दिया जाए। दल की संख्या के आधार पर समय दिया जाता है।

8. श्री हीरा प्रसाद बिंद
9. श्री नीरज कुमार

8. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि सरकार का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय, इसपर सदन की सहमति प्रदन की गई।

(अंतराल)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने उत्तर दिया।

9. माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार द्वारा माननीय कार्यकारी सभापति महोदय को धन्यवाद दिया जाना

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बाद-बिबाद पर सरकार के उत्तर के बीच ही गांधी जी के द्वारा बताए गए सात सामाजिक पाप को सदन में लिखबाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने माननीय कार्यकारी सभापति महोदय को धन्यवाद दिया।

(सरकार के उत्तर के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से उठकर बाहर चले गए, जबकि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद अपने स्थान पर बैठे रहे।)

तदुपरांत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत सभी संशोधन एक-एक कर सदन में रखे गये तथा सदन द्वारा उन्हें अस्वीकृत किया गया।

इसके पश्चात् महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने यह घोषणा करने की कृपा की कि इस अभिगृहित प्रस्ताव की एक प्रति मेरे द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित की जाएगी।

10. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. श्री राम ईशबर महतो
3. श्री संजीव श्याम सिंह
4. श्री केदारनाथ पाण्डेय
5. प्रो. संजय कुमार सिंह
6. प्रो. नवल किशोर यादव
7. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
8. श्री राधाचरण साह

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदनों को निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाय।

11. सदन को सूचना एवं अनुरोध

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि पूर्व माननीय सदस्या, श्रीमती वैदेही देवी का निधन हो गया है, उनका पार्थिव शरीर 10.30 बजे पूर्वाह्न विधान परिषद् में लाया जाएगा, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 14.2.2019 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

13/02/2019

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 270 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 13.2.2019

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
13-02-2019

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।